

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 97 / 2019

उनवान

1. किशन पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
2. झाबरमल पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
3. सुरेश पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
4. शिम्भूदयाल पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
5. राकेश पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
6. विनोद पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
7. रमेश पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मण्डाभिण्डा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. कल्याण पुत्र गंगल्या
3. कमल पुत्र महादेव
4. कैलाश पुत्र प्रभात
5. कोमल पुत्री विनोदकुमार
6. कौशल्या पत्नि विनोदकुमार
7. गोपाल पुत्र महादेव
8. जडाव पत्नि रामनारायण
9. दानाराम पुत्र गुमाना
10. नानूडी पत्नि गंगल्या
11. प्रिया पुत्री गुमाना
12. बबली पुत्री जोधा
13. बाबूलाल पुत्र गंगल्या
14. बाबूलाल पुत्र जोधा
15. मुरली पुत्र घीसा
16. मूली देवी पत्नि हरनाथ
17. महेश पुत्र जोधा
18. मालीराम पुत्र गुमाना
19. मीनू पुत्र विनोदकुमार
20. मोती पुत्र गंगाराम
21. मोहनी पत्नि सुवालाल
22. रामकुंवार पुत्र जोधा
23. रामनारायण पुत्र छीतर
24. विनोदकुमार पुत्र गुमाना
25. विमलकुमार पुत्र सुवालाल
26. शान्ति देवी पत्नि जोधा
27. सुगना पुत्री जोधा



उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

28. सुनिता पुत्री जोधा
29. सुरेशकुमार पुत्र गुमाना
30. सुवा पुत्र गंगल्या
31. सीताराम पुत्र गंगल्या
32. सोनू पुत्री विनोदकुमार
33. हरनाथ पुत्र छीतर
34. आंची देवी पत्नि प्रहलाद
35. ममता कुमारी पुत्री प्रहलाद
36. मोहनी देवी पुत्री प्रहलाद
37. राजेन्द्रकुमार पुत्र प्रहलाद
38. सुभाषचन्द पुत्र प्रहलाद
39. सुरेन्द्रकुमार पुत्र प्रहलाद

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मण्डा भिण्डा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

निर्णय दिनांक :- 01.02.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण ग्राम मण्डाभिण्डा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के रहने वाले हैं। वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि वाके ग्राम मण्डा भिण्डा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है जिसके हाल खाता संख्या 183 खसरा नम्बर 229/1668 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.46 हैक्टेयर, कुल किता 10 का कुल रकबा 3.50 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/18 भाग की खातेदारी वादीगण के पिता सुखपाल पुत्र महादेव के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादीगण के पिता सुखपाल पुत्र महादेव के समस्त रिकॉर्ड में उनका नाम सुरज्ञान पुत्र महादेव दर्ज रहा है यथा आधार कार्ड, ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैंक पासबुक, आबादी भूमि का पट्टा में वादीगण के पिता सुखपाल का नाम सुरज्ञान पुत्र महादेव दर्ज रिकॉर्ड रहा है क्योंकि वादीगण के पिता को सुरज्ञान व सुखपाल दोनो ही नामो से जाना जाता था तथा गांव में बोल चाल की भाषा में सुखपाल पुत्र महादेव नाम काम में लिया जाता था जिसके आधार पर वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुखपाल पुत्र महादेव लिखा गया। वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 11.03.2016 को हो चुका है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उनका नाम सुरज्ञान पुत्र महादेव ही लिखा गया है। उक्त सुरज्ञान पुत्र महादेव की पत्नि अर्थात् वादीगण की माता श्रीमती भूरी देवी पत्नि सुरज्ञान का स्वर्गवास भी दिनांक 25.11.2015 को हो चुका है। उक्त सुरज्ञान उर्फ सुखपाल पुत्र महादेव व भूरी देवी पत्नि सुरज्ञान के वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है।

वादीगण के पिताजी एक ग्रामीण परिवेश के भोले भाले एवं अनपढ़ व्यक्ति थे जिनके दोहरे नाम होने से भविष्य में आने वाली परेशानीयों की जानकारी कभी नहीं रही

सुरेन्द्रकुमार
ग्राम मण्डा भिण्डा
जिला जयपुर

ना ही उन्हें राजस्व रिकॉर्ड की कोई जानकारी कमी रही है। जिस कारण उनके द्वारा अपने नाम को दुरुस्त करवाने हेतु अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

वादीगण के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि का फौती नामान्तकरण खुलवाने बाबत आवेदन किये जाने पर तथा उनके दस्तावेजात् का अवलोकन किये जाने पर वादीगण को ज्ञात हुआ कि वादीगण के पिता सुरज्ञान पुत्र महादेव का नाम स्वयं के दस्तावेजों में सुरज्ञान पुत्र महादेव दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उनका नाम सुखपाल पुत्र महादेव दर्ज कर दिया गया है। उक्त सुरज्ञान व सुखपाल पुत्र महादेव एक ही व्यक्ति है सुखपाल पुत्र महादेव नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम मण्डा भिण्डा में नहीं रहा है। वादीगण के पिता सुरज्ञान का नाम ही सहवन् से राजस्व रिकॉर्ड में सुखपाल पुत्र महादेव दर्ज किया गया है। जिसको दुरुस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है।


उक्त नाम दुरुस्ती करवाने बाबत वादीगण द्वारा श्रीमान पटवारी हल्का एवं तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। परन्तु आज दिवस तक दुरुस्ती नहीं होने से वादीगण को अपने पिता का फौती नामान्तकरण खुलवाने में काफी परेशानी हो रही है। जिस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वादीगण को निम्न अनुतोष प्रदान किये जायें :-

(क) वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण के पिता का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी हाल खाता संख्या 183 खसरा नम्बर 229/1668 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.46 हैक्टेयर, कुल किता 10 का कुल रकबा 3.50 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/16 भाग में वादीगण के पिता का नाम सुखपाल पुत्र महादेव के स्थान पर सुरज्ञान पुत्र महादेव की घोषणा की जावे तदनुसार समस्त राजस्व अंकनों को दुरुस्त किया जावे।

(ख) उक्त मद संख्या (क) में दुरुस्त किये जाने के उपरान्त वादीगण सुरज्ञान पुत्र महादेव के विधिक वारिसान् होने के कारण सुरज्ञान पुत्र महादेव के स्थान पर वादीगण के नाम की घोषणा की जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में फौती नामान्तकरण खोले जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे।

पत्रावली पेच हुई। दर्ज ररिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 22, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39 बावजुद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। शेष प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता सहमति जाहिर की गई। पत्रावली एवं दस्तावेजात्, का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार उक्त त्रुटि को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित होता है।


पुनःपुनः अधिकारी
कर्म, दिनांक 07/05/20

अतः वादी का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाता हैं तथा वाके ग्राम मण्डा भिण्डा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 183 खसरा नम्बर 229/1668 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.46 हैक्टेयर, कुल किता 10 का कुल रकबा 3.50 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/16 भाग में वादीगण के पिता का नाम सुखपाल पुत्र महादेव के स्थान पर सुरज्ञान पुत्र महादेव की घोषणा की जाती है तथा वादीगण सुरज्ञान पुत्र महादेव के विधिक वारिसान् होने के कारण सुरज्ञान पुत्र महादेव के स्थान पर वादीगण के नाम की घोषणा की जाकर हाल राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्थी करने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री जारी हों। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

01/02/2021
(अभिषेक सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- अभिषेक सुराणा (I.A.S)

उनवान

1. किशन पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
2. झाबरमल पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
3. सुरेश पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
4. शिम्भूदयाल पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
5. राकेश पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
6. विनोद पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल
7. रमेश पुत्र स्व० सुरज्ञान उर्फ सुखपाल

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मण्डाभिण्डा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. कल्याण पुत्र गंगल्या
3. कमल पुत्र महादेव
4. कैलाश पुत्र प्रभात
5. कोमल पुत्री विनोदकुमार
6. कौशल्या पत्नि विनोदकुमार
7. गोपाल पुत्र महादेव
8. जडाव पत्नि रामनारायण
9. दानाराम पुत्र गुमाना
10. नानूडी पत्नि गंगल्या
11. प्रिया पुत्री गुमाना
12. बबली पुत्री जोधा
13. बाबूलाल पुत्र गंगल्या
14. बाबूलाल पुत्र जोधा
15. मुरली पुत्र घीसा
16. मूली देवी पत्नि हरनाथ
17. महेश पुत्र जोधा
18. मालीराम पुत्र गुमाना
19. मीनू पुत्र विनोदकुमार
20. मोती पुत्र गंगाराम
21. मोहनी पत्नि सुवालाल
22. रामकुंवार पुत्र जोधा
23. रामनारायण पुत्र छीतर
24. विनोदकुमार पुत्र गुमाना
25. विमलकुमार पुत्र सुवालाल
26. शान्ति देवी पत्नि जोधा

27. सुगना पुत्री जोधा
28. सुनिता पुत्री जोधा
29. सुरेशकुमार पुत्र गुमाना
30. सुवा पुत्र गंगल्या
31. सीताराम पुत्र गंगल्या
32. सोनू पुत्री विनोदकुमार
33. हरनाथ पुत्र छीतर
34. आंची देवी पत्नि प्रहलाद
35. ममता कुमारी पुत्री प्रहलाद
36. मोहनी देवी पुत्री प्रहलाद
37. राजेन्द्रकुमार पुत्र प्रहलाद
38. सुभाषचन्द पुत्र प्रहलाद
39. सुरेन्द्रकुमार पुत्र प्रहलाद

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मण्डा भिण्डा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर :- 97/2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू अभिषेक सुराणा आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाता हैं ग्राम मण्डा भिण्डा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 183 खसरा नम्बर 229/1668 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.46 हैक्टेयर, कुल किता 10 का कुल रकबा 3.50 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/16 भाग में वादीगण के पिता का नाम सुखपाल पुत्र महादेव के स्थान पर सुरज्ञान पुत्र महादेव की घोषणा की जाती है तथा वादीगण सुरज्ञान पुत्र महादेव के विधिक वारिसान् होने के कारण सुरज्ञान पुत्र महादेव के स्थान पर वादीगण के नाम की घोषणा की जाकर हाल राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती करने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 01.02.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(अभिषेक सुराणा)


उपखण्ड अधिकारी

चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोट:-इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


 01/02/2021
 उपाखण्ड अधिकारी
 नोमू जिला नयपुर